RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जनवरी
08
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता / Indo-US nuclear deal

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने घोषणा की है कि भारत सरकार के संस्थानों, जैसे **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR),** और **इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL),** को **अमेरिकी प्रतिबंध सूची** से हटाने की योजना बनाई जा रही है।

- इस पहल का **उद्देश्य** भारत के परमाणु संस्थानों और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

यूएस एंटिटी लिस्ट (US Entity List):

यूएस एंटिटी लिस्ट में विदेशी व्यक्तियों, व्यवसायों, और संगठनों को शामिल किया गया है, जिन पर विशेष वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात और लाइसेंसिंग से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सूची का उद्देश्य:

यह सूची **यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स** के तहत **ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS)** द्वारा तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य अनधिकृत व्यापार को रोकना है, जो निम्नलिखित का समर्थन कर सकता है:

1. **आतंकवाद (Terrorism)**: किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देना।
2. **महाविनाश के हथियार कार्यक्रम (Weapons of Mass Destruction - WMD)**: ऐसे कार्यक्रम जो परमाणु, रासायनिक, या जैविक हथियारों के निर्माण से जुड़े हों।
3. **यूएस विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां (Activities against US Foreign Policy or National Security)**: ऐसे कार्य जो अमेरिका की विदेशी नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

यह सूची सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों का गलत उपयोग न हो।

पृष्ठभूमि:

1. **भारत-अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति समझौता (123 समझौता):**
   - यह समझौता **यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954** की **धारा 123** के तहत हुआ है।
   - इसलिए इसे आमतौर पर **123 समझौता** के नाम से जाना जाता है।
2. **समझौते का उद्देश्य:**
   - भारत के खिलाफ तीन दशकों से लागू **तकनीकी प्रतिबंध व्यवस्था** को समाप्त करना।
   - भारत के **न्यूक्लियर आइसोलेशन** (परमाणु अलगाव) को समाप्त करना।
3. **परिणाम:** यह समझौता भारत के लिए दरवाजे खोलता है कि वह **नागरिक परमाणु सहयोग** में अमेरिका और विश्व के बाकी देशों के साथ **समान भागीदार** के रूप में शामिल हो सके।

भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता (2008):

मुख्य बिंदु:

- भारत को **NPT** पर हस्ताक्षर किए बिना परमाणु व्यापार की अनुमति।
- **IAEA** की निगरानी में नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करना।
- भारत को परमाणु ईंधन, रिएक्टर और तकनीक तक पहुंच।

प्रगति:

- शुरुआती उत्साह के साथ समझौता हुआ; अमेरिका ने कानून संशोधन किए।
- भारत ने कई देशों से समझौते किए, लेकिन रिएक्टर निर्माण और निवेश में धीमी प्रगति।

प्रगति धीमी क्यों?

1. **कानूनी बाधाएं:**
   - **10CFR810: यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954** के तहत **टाइटल 10, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन्स** के भाग 810 के नियम, अमेरिकी परमाणु विक्रेताओं को भारत में उपकरण निर्माण या डिज़ाइन कार्य करने से रोकते हैं।
   - **नागरिक दायित्व अधिनियम (2010):** दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करती है।
2. **तकनीकी सीमाएं:** भारत का **PHWR** तकनीक पर निर्भरता, जबकि वैश्विक प्रगति **LWR** में।
3. **अन्य चुनौतियां:** उच्च लागत, नौकरशाही, सार्वजनिक विरोध (फुकुशिमा आपदा के बाद), और भूराजनीतिक मतभेद।

भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग का महत्व:

1. **iCET (क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी पहल):** नवाचार को बढ़ावा देने और परमाणु घटकों के संयुक्त निर्माण को सक्षम करने का लक्ष्य।
   - भारत में अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की तैनाती और परस्पर सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
2. **भारत का SMRs (स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर) पर जोर:** उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
3. **लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) में सहयोग:** आधुनिक रिएक्टर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी।

राजस्थान में आर्टेसियन कुआँ / Artesian well in Rajasthan

संदर्भ:

जैसलमेर में एक अनोखी प्राकृतिक घटना देखने को मिली जब आर्टेसियन पानी सतह पर उभरने लगा। यह घटना आर्टेसियन स्थितियों का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

आर्टेसियन कुआँ:

आर्टेसियन कुआँ वह है, जहाँ जल **पंपिंग के बिना** दबाव के कारण स्वाभाविक रूप से सतह पर आता है।

"आर्टेसियन" नाम **फ्रांस** के आर्टोइस कस्बे से लिया गया है जो कि आर्टेसियम का पुराना रोमन शहर था, जहाँ मध्य युग में सबसे प्रसिद्ध आर्टेसियन कुएँ थे।

मुख्य बिंदु:

1. **कन्फाइंड जलभृत (Confined aquifer):**
   - जलभृत (Aquifer) एक पारगम्य परत है, जो **मृदा या चट्टान जैसी अभेद्य परतों** के बीच होती है।
   - इसके ऊपर और नीचे कठोर सामग्री होने के कारण इसे **"कन्फाइंड जलभृत"** कहते हैं।
2. **निर्माण (Formation):**
   - आर्टेसियन कुओं का निर्माण तब होता है, जब कुआँ कन्फाइंड जलभृत तक पहुँचता है।
   - जल को इन अभेद्य परतों के बीच दबाव में संग्रहित किया जाता है।
3. **दबाव तंत्र (Pressure mechanism):**
   - कन्फाइंड जलभृत में जल **उच्च दबाव** में होता है।
   - जब कुआँ ड्रिल किया जाता है, तो दबाव जल को **बोरहोल** के माध्यम से ऊपर ले आता है।
4. **जल प्रवाह (water flow):**
   - **स्वाभाविक प्रवाह:** यदि दाब पर्याप्त हो, तो जल सतह पर स्वत: प्रवाहित होता है (प्रवाहित आर्टेसियन कुआँ)।
   - **पंप की आवश्यकता:** यदि दाब अपर्याप्त हो, तो जल को निकालने के लिए पंप की जरूरत होती है।
5. **स्थान:**
   - प्रसिद्ध आर्टेसियन कुएँ:
     - **ग्रेट आर्टेसियन बेसिन (ऑस्ट्रेलिया)**
     - **डकोटा एक्वीफर (संयुक्त राज्य अमेरिका)**
     - **अफ्रीका** के कई क्षेत्र।
6. **ट्यूबवेल से अंतर:**
   - **आर्टेसियन कुआँ:** जल दबाव के कारण स्वत: सतह पर आता है।
   - **ट्यूबवेल:** जल को सतह पर लाने के लिए बाहरी ऊर्जा (पंप) की आवश्यकता होती है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में आर्टेसियन जलभृत:

रेत के नीचे बंद जल (Confined Water):

- रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जल **सैंडस्टोन** की भूगर्भीय परतों के नीचे फंसा रहता है।
- जब इस परत को छेदा जाता है, तो भूगर्भीय दबाव के कारण जल स्वत: ऊपर की ओर प्रवाहित होता है।

तारानगर में अनोखा अवलोकन:

- राजस्थान के **मोहनगढ़** और **नाचनासमिति पंचायत** जैसे स्थानों में यह घटना देखी गई है।
- लेकिन, **तारानगर** में जल प्रवाह की तीव्रता असाधारण थी।

वैश्विक स्तर पर आर्टेसियन घटनाएं:

- ऐसे ही आर्टेसियन जल प्रवाह ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी दर्ज किए गए हैं।

महत्व:

1. **शुष्क क्षेत्रों में जल स्रोत:**
   - आर्टेसियन कुएँ रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ जल की कमी होती है।
   - इनसे प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जल **ऊर्जा-गहन पंपों** के बिना उपलब्ध हो सकता है।
2. **कृषि उपयोगिता:**
   - आर्टेसियन कुएँ सीमित सतही जल वाले क्षेत्रों में सिंचाई संभव बनाते हैं।
   - यह फसलों को बिना मशीनरी की आवश्यकता के जल उपलब्ध कराते हैं।
3. **भूगर्भीय अध्ययन:**
   - आर्टेसियन परिस्थितियाँ वैज्ञानिकों को **भूजल वितरण, जल विज्ञान**, और क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करने में मदद करती हैं।

जाति आधारित जनगणना / Caste based census

संदर्भ:

भारत में जाति आधारित जनगणना वंचित वर्गों, खासकर पिछड़े वर्गों की स्थिति समझने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी है। बिहार की 2023 की जाति आधारित जनगणना इस दिशा में एक अहम पहल है।

भारत में जनगणना:

जनगणना के बारे में:

- जनगणना से मानव संसाधन, जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना से संबंधित बुनियादी आँकड़े प्राप्त होते हैं।
- भारत में पहली जनगणना **1872** में असमयिक (non-synchronous) रूप से की गई थी।
- पहली समकालिक (synchronous) जनगणना **1881** में ब्रिटिश शासन के दौरान **डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन** (Census Commissioner of India) के नेतृत्व में हुई।
- हर **10 साल** में जनगणना कराने की जिम्मेदारी **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय** की होती है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

भारत में जनगणना का कानूनी/संवैधानिक आधार:

1. **संवैधानिक प्रावधान:**
   - जनगणना को भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची** के **संघ सूची** (Union List) की **एंट्री 69** में सूचीबद्ध किया गया है।
2. **कानूनी प्रावधान:**
   - जनगणना **Census Act, 1948** के तहत आयोजित की जाती है।

जातिगत जनगणना (Caste Census):

1. **ब्रिटिश कालीन जनगणना (1881-1931):**
   - ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना में जातियों की गिनती की जाती थी।
2. **स्वतंत्रता के बाद जनगणना (1951-2023):**
   - **1951** की जनगणना से जातियों की गणना बंद कर दी गई, सिवाय अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के।
   - **1961** में केंद्र सरकार ने राज्यों को राज्य-विशिष्ट OBC सूचियों के लिए अपने सर्वेक्षण करने की सिफारिश की।
   - **Census Union विषय** होने के बावजूद, **Statistics Act, 2008** के तहत राज्य और स्थानीय निकाय आवश्यक आँकड़े एकत्र कर सकते हैं।
     - उदाहरण: **कर्नाटक (2015)** और **बिहार (2023)** द्वारा OBC सर्वेक्षण।

जाति जनगणना की आवश्यकता-

1. सामाजिक आवश्यकता:

- भारत में जाति एक प्रमुख सामाजिक संरचना है, जो विवाह, निवास, और राजनीतिक चयन को प्रभावित करती है।
- **2011-12** तक केवल **5% विवाह** ही अंतरजातीय थे।
- चुनाव और मंत्रिमंडल गठन में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. कानूनी आवश्यकता:

- संविधान में वर्ग का उल्लेख है, लेकिन जाति को **पिछड़े वर्गों** की पहचान और आरक्षण नीतियों के लिए अहम माना गया है।
- जाति डेटा से **सामाजिक न्याय नीतियों** को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।

3. प्रशासनिक आवश्यकता:

- **जाति डेटा से:**
  - गलत जातियों को शामिल/बाहर करने में सुधार,
  - आरक्षित वर्गों में लाभ की समान भागीदारी सुनिश्चित करना,
  - जातियों का उप-वर्गीकरण करना, और
  - क्रीमी लेयर की आय/धन सीमा तय करने में मदद मिलती है।

4. नैतिक आवश्यकता:

- जाति डेटा के अभाव में उच्च जाति और प्रभावशाली OBC वर्गों ने राष्ट्रीय संसाधनों, आय और शक्ति पर अधिक नियंत्रण कर लिया है।

निष्कर्ष और विश्लेषण:

बिहार जनगणना 2023 राज्य में गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को उजागर करती है।

महत्त्व:

- यह जनगणना जाति आधारित डेटा की आवश्यकता को सिद्ध करती है।
- नीतियों को प्रभावी बनाने और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में इसकी अहम भूमिका हो सकती है।

NITI आयोग के 10 वर्ष / 10 Years of NITI Aayog

संदर्भ:

NITI आयोग ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए हैं। राष्ट्रीय संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से की गई थी, जिसने पहले के योजना आयोग की जगह ली थी।

NITI Aayog के बारे में:

स्थापना: NITI Aayog (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) 2015 में स्थापित एक सरकारी थिंक टैंक है।

संरचना: NITI Aayog की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि उपाध्यक्ष और CEO कार्यकारी कार्यों का नेतृत्व करते हैं।

शासी परिषद:

- भारत के प्रधानमंत्री
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर)
- NITI Aayog के उपाध्यक्ष
- NITI Aayog के पूर्णकालिक सदस्य

NITI Aayog के उद्देश्य:

1. **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:**
   - समावेशी विकास के लिए रणनीतियों का निर्माण और उन्हें लागू करना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग हो।
2. **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना:**
   - सहकारी शासन के लिए प्रमुख पक्षधारकों को जोड़ने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना।
3. **कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना:**
   - समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जो आर्थिक प्रगति से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।
4. **योजना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना:**
   - गाँव स्तर पर विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करना और इसे उच्च सरकारी स्तरों पर धीरे-धीरे बढ़ाना।
5. **दीर्घकालिक नीतियाँ बनाना:**
   - रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति ढांचे का निर्माण, प्रगति की निगरानी करना, और आवश्यकतानुसार मध्य-मार्ग सुधार लागू करना।
6. **नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना:**
   - ज्ञान, नवाचार, उद्यमिता समर्थन प्रणाली और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर देना।
7. **संसाधन केंद्र की स्थापना:**
   - प्रभावी शासन और सतत विकास पर एक शोध संग्रह केंद्र स्थापित करना।

NITI Aayog का महत्त्व:

1. **सहकारी संघवाद:** NITI Aayog केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाता है, जिससे राज्यों को स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।
2. **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** NITI Aayog राज्यों को पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से सुधारने के लिए प्रेरित करता है, और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
3. **रणनीतिक नीति निर्माण:** NITI Aayog दीर्घकालिक नीतियां बनाता है, जिसमें राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के विचार शामिल होते हैं।
4. **SDG निगरानी:** यह भारत में SDGs के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, और सरकारी योजनाओं को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है।
5. **नवाचार को बढ़ावा देना:** NITI Aayog नवाचार-समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है और स्टार्टअप्स को सहारा देता है।
6. **क्षमता निर्माण:** राज्य सरकारों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे वे नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।
7. **समावेशी विकास:** यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए नीतियां बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समानता सुनिश्चित होती है।
8. **पारदर्शिता:** NITI Aayog सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाता है और जनता का विश्वास बढ़ाता है।
9. **अंतर-संवर्गीय समन्वय:** विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करते हुए नीतियों के कार्यान्वयन को सरल बनाता है।

NITI Aayog के दृष्टिकोण योजनाएं भारत के लिए:

1. **2030 एजेंडा और सतत विकास:** गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और लिंग समानता को बढ़ावा देना।
2. **15 वर्षीय दृष्टिकोण (2020-2035):**
   - आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।
3. **डाटा और नवाचार:**डिजिटलीकरण, नवाचार और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण से विकास और शासन में सुधार।

इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य / Indonesia becomes a full member of BRICS

संदर्भ:

हाल ही में, **इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह** में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है।

मुख्य बिन्दु:

- 2023 के **जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका** में हुई BRICS शिखर सम्मेलन में BRICS सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी दी।
- इंडोनेशिया BRICS समूह का **दसवां पूर्ण सदस्य** बना।
- हालांकि, इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता केवल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपनी नई सरकार के गठन के बाद ही अंतिम रूप से स्वीकार की।

BRICS के बारे में:

1. **परिभाषा:**
   - **BRICS** एक संक्षिप्त रूप है, जो पाँच प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं **ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन**, और **दक्षिण अफ्रीका** को प्रदर्शित करता है।
2. **वैश्विक प्रभाव:**
   - ये देशों **दुनिया की 40% से अधिक आबादी** और **वैश्विक GDP का लगभग 30%** का हिस्सा हैं।
3. **लक्ष्य:**
   - BRICS का उद्देश्य इन देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, जैसे कि **व्यापार, वित्त, कृषि**, और **प्रौद्योगिकी**।
   - यह समूह इन देशों को **आर्थिक विकास, राजनीतिक मुद्दों**, और **क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा** पर अपनी नीतियों को समन्वयित करने और चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है।
4. **पश्चिमी अर्थव्यवस्था का मुकाबला:**
   - BRICS के सहयोग को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में **पश्चिमी देशों के प्रभुत्व** के खिलाफ एक **प्रतिसंतुलन** के रूप में देखा जाता है।

BRICS का इतिहास:

1. **BRICS की उत्पत्ति:**
   - BRICS का विचार **गोल्डमैन सैक्स** की 2001 की रिपोर्ट से आया था, जिसमें **BRIC** शब्द का प्रयोग **ब्राज़ील, रूस, भारत**, और **चीन** की आर्थिक संभावनाओं को उजागर करने के लिए किया गया था।
2. **पहली औपचारिक समिट:**
   - BRICS का पहला औपचारिक समिट **2009** में रूस के **येकेटेरिनबर्ग** में आयोजित हुआ।
3. **दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश:**
   - 2010 में **दक्षिण अफ्रीका** ने BRICS में शामिल होकर इसे **BRICS** बना दिया।
4. **वार्षिक समिट्स:**
   - इसके बाद से वार्षिक समिट्स BRICS सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, जहाँ नेता **साझा चुनौतियों** और **सतत विकास के लिए रणनीतियों** पर चर्चा करते हैं।
5. **BRICS का विकास:**
   - BRICS ने समय के साथ एक **आर्थिक अवधारणा** से **राजनीतिक इकाई** में रूपांतरित होने का सफर तय किया।
   - यह **वैश्विक शासन सुधार, सतत विकास**, और **समावेशी वृद्धि** जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।

BRICS का कार्यप्रणाली:

1. **कार्य प्रणाली:**
   - BRICS वार्षिक समिट्स, मंत्रिस्तरीय बैठकों, और विभिन्न कार्य समूहों के माध्यम से काम करता है।
   - BRICS की अध्यक्षता **वार्षिक रूप से** सदस्य देशों के बीच घुमती रहती है, जिससे हर देश को **वर्ष का एजेंडा तय करने** और समिट की मेज़बानी करने का अवसर मिलता है।
2. **मुख्य सहयोग क्षेत्रों में:**
   - **आर्थिक और वित्तीय सहयोग: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** और **कॉन्टिजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA)** जैसी पहलों का उद्देश्य सदस्य देशों को **आर्थिक सहायता** और **स्थिरता** प्रदान करना है।
   - **राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** समूह **वैश्विक शासन सुधार**, **आतंकवाद विरोधी प्रयास**, और **साइबर सुरक्षा** जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
   - **जनता से जनता का आदान-प्रदान:** सांस्कृतिक, शैक्षिक, और युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि सदस्य देशों की जनसंख्या के बीच **संबंध और समझ** को सुदृढ़ किया जा सके।
   - **स्वास्थ्य, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी: वैक्सीनेशन विकास**, **जलवायु परिवर्तन का समाधान**, और **प्रौद्योगिकी नवाचार** में सहयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में प्रमुख हैं।

पंचायत से संसद 2.0 / Panchayat to Parliament 2.0

संदर्भ:

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला **'पंचायत से संसद 2.0'** कार्यक्रम का उद्घाटन किया हैं, जो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुआ।

प्रमुख बिंदु:

कार्यक्रम के उद्देश्य:

1. **संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना:**
   - महिलाओं की संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में समझ बढ़ाना।
2. **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना:**
   - **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** और **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना।
3. **शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना:**
   - शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
4. **महिला नेताओं के योगदान की सराहना:**
   - महिलाओं के योगदान को मान्यता देना, विशेष रूप से **शिक्षा** और **ग्रामीण विकास** को बढ़ावा देने में।
5. **नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना:**
   - नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना और **स्थानीय शासन** में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करना।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. **इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ और सत्र:**
   - कार्यक्रम में **विशेषज्ञों** और **सांसदों** द्वारा संचालित **इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ** और **सत्र** शामिल हैं।
2. **निर्देशित पर्यटन:**
   - प्रतिनिधि महत्वपूर्ण स्थानों का निर्देशित दौरा करेंगे, जैसे **नया संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय**, और **राष्ट्रपति भवन**।
3. **संविधान के प्रस्तावना का पठन:**
   - इस कार्यक्रम के दौरान **लोकसभा अध्यक्ष** प्रतिनिधियों को **भारत के संविधान की प्रस्तावना** का पठन करवाएंगे।
4. **पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता:**
   - यह पहल **पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम** की सफलता पर आधारित है, जिसमें भारत भर से **500 महिला सरपंच** को शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):

स्थापना:

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** को **31 जनवरी 1992** को **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत गठित किया गया था, ताकि महिला समस्याओं को सुलझाया जा सके।

पहली अध्यक्ष: **जयन्ती पटनायक** पहली अध्यक्ष थीं।

संविधानिक प्रावधान: **अनुच्छेद 15(3), 14**, और **21** महिलाओं के लिए **लिंग-निरपेक्ष सुरक्षा** प्रदान करते हैं।

उद्देश्य:

- भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना।
- प्रचारित मुद्दे: **दहेज**, **राजनीति**, **श्रम शोषण**, **पुलिस अत्याचार**, और **नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व**।

संघटनात्मक संरचना:

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय सरकार द्वारा नामित।
- **पाँच सदस्य:** कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
- **विशेष प्रतिनिधित्व:** एक सदस्य अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजातियों से।

अधिकार:

- **नीति परामर्श:** नीति परामर्श प्रदान करना।
- **समन जारी करना:** समन जारी करना और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना।
- **साक्ष्य लेना:** शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

कार्य:

- **वार्षिक रिपोर्ट:** महिलाओं की सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- **जांच:** कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा की जांच करना।
- **समीक्षा:** कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना।
- **शिकायत निवारण:** अधिकारों का उल्लंघन और कल्याण कानूनों की शिकायतों को निपटाना।
- **संवेदनशील सुधार:** महिला कल्याण प्रणालियों में समस्याओं की पहचान करना और सुधार करना।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण / Armed Forces Tribunal

संदर्भ:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की बेंचों** की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT):

1. **स्थापना:**
   - **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT)** भारत में **2009** में **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007** के तहत स्थापित किया गया।
2. **कार्य:**
   - न्यायाधिकरण निम्नलिखित से संबंधित विवादों और शिकायतों का निपटारा करता है:
     - **आर्मी एक्ट, 1950**, **नेवी एक्ट, 1957**, और **एयर फोर्स एक्ट, 1950** के तहत **कमिशन, नियुक्तियाँ, भर्ती**, और **सेवा शर्तें**।
     - इन अधिनियमों के तहत **कोर्ट-मार्शल** के आदेशों, निर्णयों या सजा के खिलाफ अपीलें।
     - यह न्यायाधिकरण इन विवादों से संबंधित या उनसे जुड़ी समस्याओं को भी संभालता है।
     - न्यायाधिकरण को यह अधिकार है कि यदि कोर्ट-मार्शल के निष्कर्ष न्यायसंगत पाए जाते हैं तो अपीलों को खारिज कर सकता है।
3. **मुख्य, क्षेत्रीय और सर्किट बेंच:**
   - ये विभिन्न प्रकार की बेंचें **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण** को मामलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सहायता करती हैं।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) की संरचना:

1. **न्यायिक सदस्य:**
   - न्यायिक सदस्य **सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीश** होते हैं।
2. **प्रशासनिक सदस्य:**
   - प्रशासनिक सदस्य **सेवानिवृत्त सशस्त्र बल सदस्य** होते हैं जिन्होंने **मेजर जनरल** (या समकक्ष रैंक) के पद पर **तीन साल** या उससे अधिक समय तक सेवा दी हो; या
   - **जज एडवोकेट जनरल (JAG)** होते हैं जिनके पास इस पद पर कम से कम **एक साल** का अनुभव होता है

शक्तियाँ/क्षेत्राधिकार:

अपीलों का निपटान:

- न्यायाधिकरण **कोर्ट-मार्शल** द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा के खिलाफ अपीलों का निपटान करने के लिए सक्षम है।

जमानत देने की शक्ति: न्यायाधिकरण के पास **सैन्य हिरासत** में बंद आरोपी को **जमानत** देने की शक्ति है।

कोर्ट-मार्शल के निष्कर्षों को बदलने की शक्ति: न्यायाधिकरण को **कोर्ट-मार्शल** के निष्कर्षों को बदलने का अधिकार है। इसके तहत यह कर सकता है:

- पूरी सजा या उसका कोई हिस्सा माफ करना, शर्तों के साथ या बिना शर्त;
- सजा को कम करना;
- सजा को कम करके कोई हल्की सजा में बदलना या कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई सजा को बढ़ाना।

न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का **मूल (Original)** और **अपील (Appellate)** दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार है।

अन्य अदालतों की क्षेत्राधिकार:

सुप्रीम कोर्ट का 2015 का निर्णय:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने 2015 में यह निर्णय लिया था कि **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT)** के फैसलों को **उच्च न्यायालयों** में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यदि किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक कानूनी प्रश्न का संबंध है तो AFT के आदेशों के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** में अपील की जा सकती है।

2020 में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टिकरण: जनवरी 2020 में, **सुप्रीम कोर्ट** ने यह स्पष्ट किया कि **AFT** के फैसलों को **उच्च न्यायालयों** में चुनौती दी जा सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का 2022 का निर्णय:

- मार्च 2022 में, **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने यह निर्णय लिया कि **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007** के तहत **संविधान के अनुच्छेद 227(4)** के तहत उच्च न्यायालय की **प्रशासनिक निगरानी** को बाहर रखा गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो का 78वां स्थापना दिवस / 78th Foundation Day of Bureau of Indian Standards

संदर्भ:

हाल ही में, **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** का **78वां स्थापना दिवस** नई दिल्ली में मनाया गया। यह दिन भारतीय मानक प्रणाली की भूमिका को सराहने और देश में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु:

1. **स्थापना दिवस:** भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का 78वां स्थापना दिवस 6 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में मनाया गया।
2. **उपस्थित मंत्री:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कार्यक्रम में भाग लिया।
3. **प्रमुख विषय:** अपने संबोधन में, श्री जोशी ने गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।
4. **उद्देश्य:** BIS का उद्देश्य भारतीय उद्योगों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में:

1. **स्थापना:**
   - **BIS** (भारतीय मानक ब्यूरो) को **BIS अधिनियम, 2016** के तहत भारत में मानकीकरण, चिन्हन और गुणवत्ता प्रमाणन के कार्यों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए स्थापित किया गया है।
   - इसका उद्देश्य माल के मानकीकरण, चिन्हन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कार्य करना और इससे जुड़े मामलों को सुलझाना है।
2. **आर्थिक लाभ:**
   - BIS ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से **ट्रेसबिलिटी** और **टैगिबिलिटी** के लाभ प्रदान किए हैं:
     - **सुरक्षित और विश्वसनीय गुणवत्ता वाले माल** की उपलब्धता।
     - **उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य खतरों** को कम करना।
     - **निर्यात** और **आयात प्रतिस्थापन** को बढ़ावा देना।
     - **मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण** के माध्यम से **विविधता के प्रसार** पर नियंत्रण।
3. **मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय:**
   - BIS का **मुख्यालय** नई दिल्ली में स्थित है।
   - इसके **5 क्षेत्रीय कार्यालय (ROs)** निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:
     - कोलकाता (पूर्वी)
     - चेन्नई (दक्षिणी)
     - मुंबई (पश्चिमी)
     - चंडीगढ़ (उत्तर)
     - दिल्ली (केंद्रीय)

BIS की कार्यप्रणाली:

1. **मानकीकरण के लाभ प्रदान करना:**
   - **भारतीय मानक संस्थान** ने **भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिह्न)** अधिनियम, 1952 के तहत **प्रमाणन चिह्न योजना** संचालित करना शुरू किया था।
   - यह योजना 1955 में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी और इसे लोकप्रिय रूप से **'ISI चिह्न योजना'** के नाम से जाना जाता है।
   - BIS उत्पादों को **ISI चिह्न** प्रदान करता है, जो कि तीसरे पक्ष की गारंटी है, जब उत्पाद की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
2. **BIS का मुख्यालय:** नई दिल्ली में स्थित।

BIS की प्रमुख गतिविधियाँ:

1. **मानक निर्माण:**
   - विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए **मानकों** का निर्माण करना।
2. **उत्पाद प्रमाणन योजना:**
   - उत्पादों को मानक के अनुसार प्रमाणित करना और **ISI चिह्न** प्रदान करना।
3. **अनिवार्य पंजीकरण योजना:**
   - कुछ उत्पादों के लिए **अनिवार्य पंजीकरण** प्रणाली लागू करना।
4. **विदेशी निर्माताओं का प्रमाणन:**
   - **विदेशी निर्माताओं** को भी प्रमाणन प्रदान करना।
5. **हॉलमार्किंग योजना:**
   - सोने और चांदी के आभूषणों और धातुओं के लिए **हॉलमार्किंग योजना** का संचालन करना।
6. **प्रयोगशाला मान्यता योजना:**
   - **प्रयोगशालाओं** की मान्यता प्राप्त करना और उन्हें प्रमाणित करना।
7. **भारतीय मानकों की बिक्री:** भारतीय मानकों की बिक्री और वितरण करना।

एसबीआई की भारत में गरीबी में कमी की रिपोर्ट / SBI Reports Decline in Poverty in India

संदर्भ:

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार, **वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी 5% से नीचे गिर** गई है, जो मुख्य रूप से सरकारी समर्थन कार्यक्रमों द्वारा प्रेरित है।

SBI रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

1. **ग्रामीण गरीबी में कमी:**
   - ग्रामीण गरीबी अनुपात में 2011-12 में 25.7% से घटकर FY24 में 4.86% तक गिरावट आई है।
   - यह गिरावट मुख्य रूप से सरकार द्वारा दी गई सहायता योजनाओं के कारण हुई, जो निम्नतम 0-5% आय वर्ग में उच्चतम खपत वृद्धि को प्रेरित करने वाली रही।
2. **शहरी गरीबी:**
   - शहरी गरीबी में भी 2011-12 में 13.7% से घटकर FY24 में 4.09% की गिरावट आई है।
   - यह आंकड़ा देशभर में गरीबी में कमी की ओर इशारा करता है, हालांकि शहरी गरीबी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, जो उच्च जीवन लागत, अपर्याप्त आवास और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों जैसी समस्याओं के कारण है।
3. **सरकारी सहायता:**
   - सरकारी योजनाओं जैसे **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)**, जो गरीबों को खाद्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. **खपत असमानता:**
   - नवीनतम **हाउसहोल्ड खर्च खपत सर्वे** से पता चला है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत असमानता में कमी आई है, जिससे आय वितरण में सुधार का संकेत मिलता है।
5. **संभावित भविष्यवाणियाँ:**
   - रिपोर्ट में यह नोट किया गया है कि अंतिम आंकड़े 2021 की जनगणना के पूरा होने के बाद थोड़ा संशोधित हो सकते हैं, जो ग्रामीण-शहरी जनसंख्या वितरण पर अद्यतन डेटा प्रदान करेगा।

गरीबी रेखा की परिभाषा:

1. **FY24 गरीबी रेखा:**
   - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुमानित गरीबी रेखा **Rs 1,632** और शहरी क्षेत्रों के लिए **Rs 1,944** है, जिसे महंगाई और अन्य कारकों के हिसाब से समायोजित किया गया है।
2. **2011-12 में गरीबी रेखा:**
   - **तेंदुलकर समिति** ने 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को **Rs 816** और शहरी क्षेत्रों के लिए **Rs 1,000** निर्धारित किया था।

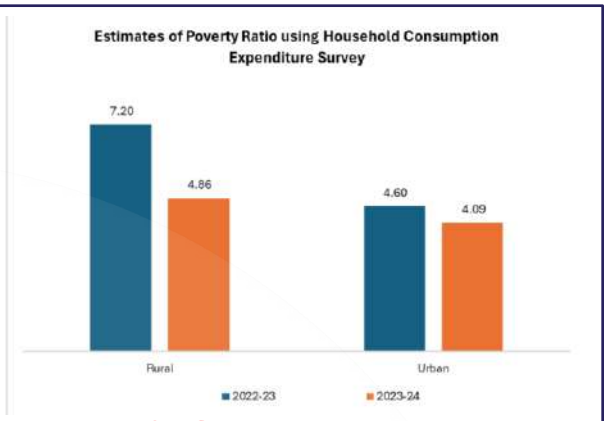

गरीबी और इसके प्रतिकूल प्रभाव:

1. खाद्य असुरक्षा

- गरीबों को अक्सर **भूख** और **कुपोषण** का सामना करना पड़ता है।
- इसका प्रभाव बच्चों की **शारीरिक वृद्धि** और **स्वास्थ्य** पर पड़ता है।

2. अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं

- सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता।

3. शिक्षा की कमी

- गरीबी के कारण बच्चे अच्छी और गुणवत्तापूर्ण **शिक्षा** प्राप्त नहीं कर पाते।
- इससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक **विकास के अवसर** सीमित हो जाते हैं।

4. आवास अस्थिरता: गरीब अक्सर **अत्यधिक भीड़भाड़** और **असुरक्षित जगहों** पर रहने को मजबूर होते हैं।

5. आर्थिक तनाव: निरंतर वित्तीय अस्थिरता से **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं**, **चिंता**, और **डिप्रेशन** जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी पहलकदमी:

1. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM):
3. राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM):
4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):
5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

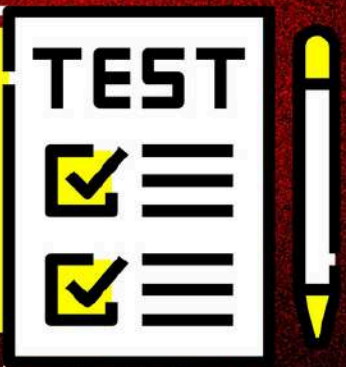

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !